मु.नं. 39/14 मांगीलाल बनाम आशाराम व अन्य

14/10/19 व.क. अपर। वकील प्रा. नहीं की गई। पत्रावली पेश। अवलोकन। आदेश दिनांक 01/11/19 को पेश हो।

01/11/19 वकीलों द्वारा आम कार्य बहिष्कार / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 15/11/19 को पेश हो।

15/11/19 व.क. अपर। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आ०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा मूलवाद के साथ रहे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

0प0 संख्या :–39/2014

1. मांगीलाल पुत्र गणपत, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीपाल पुत्र भूरामल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पंचार, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. उप–पंजियक महोदय उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 15.11.2019

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी/वादी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर का निवासी है तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा ग्राम गोविन्दगढ में अपने पूर्वजों के समय से निवास करता आ रहा है। गत खसरा नम्बर 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 स्थित ग्राम गोविन्दगढ, पटवार हल्का गोविन्दगढ की खातेदारी भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही बजमाना ठिकाना प्रार्थी/वादी के पिता गणपत बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहा है। मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण उक्त भूमि की खातेदारी लक्ष्मणदास चैला बुद्धादास के नाम हो गई जबकि पूर्व सेटलमेन्ट के समय से पूर्व से ही उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि पर प्रार्थी/वादी के पिता गणपत पुत्र झांझू का कब्जा काश्त रहा है तथा तब से ही उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर लगान सरकारी अदा करता आ रहा है।

लक्ष्मणदास का उक्त वर्णित साबिक खसरा नम्बरान् पर लक्ष्मणदास का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है केवल उसका नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हो गया। इस कारण लक्ष्मणदास ने प्रार्थी/वादी के पिता गणपत के हक में सम्पूर्ण भूमि का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.12.1962 को करा दिया परन्तु प्रार्थी/वादी का पिता अनपढ एवं भोला भाला काश्तकार व्यक्ति था इसलिए वरवक्त रजिस्ट्री खसरा नम्बर 688, 689 कुल किता 2 का कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा का रजिस्ट्री मे अंकन होने से रह गया जबकि मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी की भूमि पर प्रार्थी/वादी के पिता गणपत का ही कब्जा रहा है जो राजस्व रिकॉर्ड खतौनी बंदोबस्त संवत् 2004 से भलीभांति वर्णित है। प्रार्थी/वादी के पिता गणपत को जब गत खसरा नम्बर 688 व 689 का विक्रय पत्र में इन्द्रा नहीं होने की जानकारी हुई तो उसने लक्ष्मणदास को उक्त गलती बाबत् कहा तो वह दुरूस्ती कराने का आश्वासन देता रहा तथा टालता रहा, तत्पश्चात् लक्ष्मणदास की मृत्यु हो गयी व उसकी जगह बाला-बाला ही मूलदास चैला लक्ष्मणदास का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हो गया जबकि मद नम्बर 3 प्रार्थना पत्र मे वर्णित खातेदारी की भूमि पर कभी भी लक्ष्मणदास अथवा मूलदास का कभ कोई कब्जा नहीं रहा। प्रार्थी/वादी के पिता को गत खसरा नम्बर 688 व 689 की खातदोरी में नाम दर्ज करवाने के लिए कहता रहा परन्तु मूलदास ने भी उक्त भूमि बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती नहीं करवायी व सन् 1993 मे मूलदास का देहान्त हो गया परन्तु उक्त भूमि पर पूर्व में प्रार्थी/वादी के पिता बहैसियत खातेदार काबिज रहे व अब प्रार्थी/वादी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का गत खसरा नम्बर 688 व 689 हाल खसरा नम्बर 1262 से कभी कोई संबंध नहीं रहा। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 एक नुमायशी गोदनामा के आधार पर हाल खसर नम्बर 1262 रकबा 0.36 हैक्टेयर की भूमि को अपने आप को मूलदास दत्तक पुत्र बताकर हाल खसरा नम्बर 1262 की खातेदारी अपने नाम करवाने को अमादा है जबकि मूलदास की मृत्यु दिनांक 12.11.1993 को ही हो चुकी है तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 सन् 1982 में अपने ह कमे गोदनामा मूलदास द्वारा कराना बताता है। उक्त गोदनामा पूर्णतया नुमायशी एवं फर्जी है। उक्त गोदनामा पर अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व माता के कोई हस्ताक्षर बतौर सहमति दत्तक नहीं है जो हिन्दू दत्तक ग्रहण व भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है जिससे अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 भूरामल का पुत्र है तथा भूरामल की मृत्यु दिनांक 17.06.2005 को हो गयी जिसके खातेदारी का विरासत का नामान्तकरण भी भूरामल के अन्य पुत्रों के साथ अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का नाम भी खोला गया है जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का मूलदास चैला लक्ष्मणदास से कोई संबंध नहीं रहा है तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का ग्राम पंचार में राशन कार्ड, मतदाता सूची व मतदाता पहचान पत्र में पिता का नाम भूरामल अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 भूरामल का लड़का है तथा मूलदास के नाम अंकित खसरा नम्बर 1262 से अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का कोई संबंध नहीं है।

सहायक कलेक्टर
चोमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 1262 बाबत् खातेदारी खुलवाने के लिए अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के यहां प्रार्थना पत्र श्रीपाल बनाम सरकार के नाम से अन्तर्गत धारा 135 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमें समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर प्रार्थी/वादी की ओर से अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के यहां पक्षकार बनने का प्रार्थना प्रस्तुत किया परन्तु अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से मिलीभगत कर प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया तथा गलत रूप से कानून विरूद्ध हाल खसरा नम्बर 1262 ग्राम गोविन्दगढ का नामान्तकरण अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोलने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थी/वादी अपने बुजुर्गों के समय से काबिज है।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थी/वादी की भूमि खसरा नम्बर 1262 से कोई संबंध नहीं है न उसका कोई कब्जा है तथा गलत इन्द्राज के आधार पर वह खसरा नम्बर 1262 की भूमि पर पोसिदा तौर पर विक्रय करने को आमादा है तथा इसी उद्येश्य की पूर्ति हेतु अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने गांव के व्यक्तियों को भूमि के विक्रय करने बाबत् कहा तथा प्रार्थी/वादी को जबरन लाठी के जारे पर बेदखल करने की धमकी दिनांक 10.06.2014 को दी। प्रार्थी/वादी हाल खसरा नम्बर 1262 वाके ग्राम गोविन्दगढ की खातेदारी भूमि पर अपने बुजुर्गों के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पूर्व से ही काबिज काश्त है जिसका इन्द्राज खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2004 में प्रार्थी/वादी के पिता के नाम से दर्ज है। प्रार्थी/वादी अपने पूवर्जों के समय से ठीकाना के समय से काबिज है तथा लगान सरकारी जमा कराता आ रहा है तथा लक्ष्मणदास द्वारा प्रार्थी/वादी के पिता के हक में कराये गये विक्रय पत्र में गत खसरा नम्बर 688 व 689 सहवन से छूट जाने के कारण विक्रय पत्र में अंकित नहीं हो सके। उक्त भूमि पर लक्ष्मणदास अथवा मूलदास अथवा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं रहा, सदैव से प्रार्थी/वादी एवं उसके बुजुर्गों का कब्जा रहा है। प्रार्थी/वादी खसरा नम्बर 1262 की खातेदारी की घोषणा माननीय न्यायालय से कराने का अधिकारी है तथा रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

प्रार्थी/वादी अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कराने का अधिकारी है कि अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 हाल खसरा नम्बर 1262 वाके ग्राम गोविन्दगढ के कब्जे काश्त में प्रार्थी/वादी को कोई व्यवधान न स्वयं पैदा करे, ना अपने एजेंट, सर्वेंट या वर्कमैन से करावें तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थी/वादी को बेदखल करने की व भूमि को हस्तान्तरित करने की कोई कार्यवाही न स्वयं करें, ना अपने एजेंट, वर्कमैन से करवाये तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 को

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी/वादी के अतिरिक्त अन्य किसी के नाम रिकार्ड में अंकिन नहीं करें, ना अपने एजेंट, सर्वेंट या वर्कमैन से करवायें तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि वे खसरा नम्बर 1262 ग्राम गोविन्दगढ के संबंध में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 अथवा अन्य किसी के द्वारा प्रस्तुत हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन न स्वयं करें, ना अपने एजेंट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें। यदि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द नहीं किया गया, तो वे भूमि का हस्तान्तरण कर देंगे तथा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर देंगे एवं प्रार्थी/वादी को बेदखल कर कब्जा कर लेगें जिससे प्रार्थी/वादी को उसकी खातेदारी से महरूम होना पडेगा जिससे प्रार्थी/वादी को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपयों में किया जाना संभव नहीं होगा। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर अप्रार्थीण को जरिये नोटिस तलब किया।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया। ग्राम गोविन्दगढ पटवार हल्का गोविन्दगढ की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688 जागीरदारी रिज्मून होने से पूर्व एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय प्रार्थी/वादी के पिता गणपत कब्जे काश्त की नहीं थी जबकि उत्तरदाता के दत्तक पिता मूलदास के गुरू लक्ष्मणदास चैला बुद्धादास, कौम स्वामी, निवासी पचार के कब्जे काश्त की थी। इसलिए जागीरदारी रिज्यूम होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर लक्ष्मणदास चैला बुद्धादास को विधिक रूप से तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए गए हैं जो राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया प्रमाणित है। प्रार्थी/वादी द्वारा यह कथन कतई मनगढत एवं बनावटी वर्णित किये है कि उक्त भूमियों पर प्रार्थी/वादी के पूर्वज गणपत की उक्त भूमियां थी एवं लगान प्रार्थी/वादी का पूर्वज गणपत अदा करता था जबकि कानूनन रूप से लगान की रसीद में या किसी खसरा गिरदावरी में किसी राजस्व कर्मचारी से साझ कर किसी गिरदावरी या लगान की रसीद में यदि अपना नाम लगवा लिया हो तो भी प्रार्थी/वादी का कोई कब्जा काश्त साबित नहीं होता है क्योंकि खसरा गिरदावरी एवं लगान की रसीद प्रार्थी/वादी को कोई कब्जे एवं खातेदारी अधिकारों हेतु बल नहीं देते क्योंकि खसरा गिरदावरी कानूनन रूप से राजस्व रिकार्ड नहीं है। इसलिए प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मिथ्या कथनों पर एवं

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

बिना विधिक आधारों पर एवं बिना कब्जे काश्त के प्रस्तुत किये जाने से खारिज फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि आराजीयात् लक्ष्मणदास जी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी शुदा कृषि आराजीयात् थी जिनमें शेष साबिक खसरा नम्बर 688, 689 के अलावा प्रार्थी/वादी के पिता गणपत ने लक्ष्मणदास जी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर लिया एवं खसरा नम्बर 688, 689 लक्ष्मणदास के पास रह गई। लक्ष्मणदास जी के फौत होने पर अप्रार्थी/प्रतिवादी के दत्तक पिता मूलदास के कब्जे काश्त एवं राजस्व रिकार्ड की रही एवं मूलदास के फौत होने पर उत्तरदाता के कब्जे एवं खातेदारी की भूमि है जो कि राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया साबित है। इसलिए प्रस्तुत वाद कतई गलत आधारों पर पेश किया है। इसलिए प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 688 व 689 के अलावा शेष भूमि को लक्ष्मणदास जी को प्रतिफल अदा कर दिनांक 21.12.1962 को प्रार्थी/वादी के पिता गणपत ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था एवं गत खसरा नम्बर 688 व 689 को लक्ष्मणदास जी से न ही तो गणपतराम ने क्रय किया एवं न ही कब्जा लिया इसलिए भूमि साबिक खसरा नम्बर 688 व 689 लक्ष्मणदास जी के कब्जे में रही उसके बाद उनके चैला उत्तरदाता के दत्तक पिता मूलदास जी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में रही एवं वर्तमान मे उत्तरदाता के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में है। जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से पूर्णतया प्रमाणित है। कानूनन रूप से रिकॉर्डेड खातेदार का ही कब्जा माना जाता है इसलिए प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है।

उत्तरदाता के गोदनामा को जब तक प्रार्थी/वादी सक्षम दीवानी न्यायालय से खारिज नहीं करवा देता तब तक अप्रार्थी/प्रतिवादी के गोदनामा को फर्जी व नुमायशी बताने का कानूनी अधिकार प्रार्थी/वादी को हांसिल नहीं है। एवं न ही प्रार्थी/वादी मूलदास जी की सम्पत्तियों में उत्तरदाता को प्राप्त हक अधिकारों को चुनौती देने का अधिकार रखता है। इसलिए प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 जिस तरह से तहरीर की है गलत है अस्वीकार है। उत्तरदाता के प्राकृतिक पिता की मृत्यु होने पर उनकी भूमियों में विरासत में उत्तरदाता के दस्तावेजों में अपने प्राकृतिक पिता का नाम अंकिन होने से प्रार्थी/वादी को उत्तरदाता के दत्तक पिता मूलदास की सम्पत्तियों में कोई हक अधिकार नहीं मिल जाते एवं न ही उत्तरदाता के अपने दत्तक पिता मूलदास जी की सम्पत्ति से हक अधिकार समाप्त हो जाते, इसलिए प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रार्थी/वादी ने बिना

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

किसी लोकेस्टेण्डाई के प्रस्तुत किया है। उत्तरदाता ने अपने दत्तक पिता मूलदास जी की हाल भूमि खसरा नम्बर 1262 का नामान्तकरण खुलवाया है जिसको रूकवाने का प्रार्थी/वादी को कोई विधिक अधिकार सुरक्षित नहीं है क्योंकि मूलदास जी की सम्पदा से प्रार्थी/वादी का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बिना कब्जा के उत्तरदाता के कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड की उक्त सम्पदा को हडपने की गरज से काल्पिनिक वाद कारण वर्णित कर महज झूंठा वाद बिना वाद कारण प्रार्थी/वादी को उत्पन्न हुए वाद पेश किया है। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादीगण कृषि आराजीयात पर बिना कब्जा काश्त के प्रस्तुत किया है जबकि कानून रूप से उद्घोषणा का वाद खातेदार काश्तकार या उप काश्तकार ही प्रस्तुत कर सकता है। जबकि प्रार्थी/वादी वादाधीन कृषि आराजीयात का ना ही तो खातेदार काश्तकार है एवं न ही उप काश्तकार है। उत्तरदाता वादाधीन कृषि आराजीयात् (हाल खसरा नम्बर 1262) का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिए कानून रूप से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी शुदा सम्पदा से उसके उपयोग उपभोग एवं उसके हक अधिकारों से पाबन्द नहीं किया जा सकता। प्रार्थी/वादी अजनबी व्यक्ति जो बिना उक्त सम्पदा के कब्जे काश्त व खातेदारी के उत्तरदाता के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में अनुतोष प्राप्त कर सकता है इसलिए प्रार्थी/वादी प्रतिवादी/अप्रार्थी को अपनी उक्त सम्पदा से पाबन्द नहीं करवा सकता। प्रार्थी/वादी उत्तरदाता के विरूद्ध इस मद संख्या 12 में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का कतई कानून रूप से विधि में अधिकार सुरक्षित नहीं रखता है। क्योंकि उत्तरदाता उक्त सम्पदा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का सन्तुलन किसी भी प्रकार से प्रार्थी/वादी के हक में साबित नहीं होता है।

कृषि आराजीयात् साबिक खसरा नम्बर 682, 683, 684, 685, 686, 687, 689 स्थित ग्राम गोविन्दगढ, पटवार हल्का गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर में अवस्थित है। उक्त भूमियां जागीरदारी रिज्यूम होने से पूर्व एवं राजस्थान काश्तकार अधिनियम के प्रभाव में आने पर उत्तरदाता के दत्तक पिता मूलदास के गुरू लक्ष्मणदास चैला बुद्धदास के कब्जे काश्त की होने से तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त कृषि आराजीयात में खातेदारी उक्त लक्ष्मणदास चैला बुद्धदास जाति स्वामी, निवासी पचार के नाम की गई। इस प्रकार उक्त कृषि आराजीयात् का खातेदार काश्तकार उक्त लक्ष्मणदास जी थे। उक्त कृषि आराजीयात् में से गत खसरा नम्बर 688, 689 को छोडकर शेष कृषि आराजीयात् को प्रार्थी/वादी के पिता गणपत ने 21.12.1962 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया तब से गत भूमि खसरा नम्बर 682, 683, 684, 685, 686, 687 गणतराम के कब्जे काश्ते में ही रही एवं गणपतराम के फौत होने पर अब प्रार्थी/वादी के कब्जे में है व शेष गत खसरा

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

नम्बर 688, 689 लक्ष्मणदास जी के कब्जे काश्त व खातेदारी में रहा व लक्ष्मणदास के बाद उसके चैला मूलदास के कब्जे काश्त व खातेदारी में रहा व वर्तमान में उत्तरदाता के कब्जे काश्त व खातेदारी में है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 1262 है। किन्तु उत्तरदाता के कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.36 हैक्टेयर के प्रार्थी/वादी की भूमि एडजोइनिंग होने से प्रार्थी/वादी के मन में बेइमानी आने से उत्तरदाता की उक्त आराजीयात को हडपने की गरज से झूंठे तथ्य वर्णित कर उत्तरदाता के विरूद्ध प्रार्थी/वादी ने वाद पेश किया है जबकि प्रार्थी/वादी उत्तरदाता की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा उक्त कृषि आराजीयात् हाल खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.36 हैक्टेयर का न ही तो खातेदार काश्तकार है एवं न ही उपकाश्तकार है। इसलिए प्रार्थी/वादी न तो उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है एवं प्रार्थी/वादी उत्तरदाता को पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी/प्रतिवादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 688 व 689 (हाल खसरा नम्बर 1262) है। जिसका उत्तरदाता रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए कानून रूप से प्रार्थी/वादी अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। इसलिये प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी/वादी का वाद घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का है। जिसमें वादग्रस्त आराजी के संबंध में घोषणा किया जाना या नहीं किया जाना है जो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के उपरान्त तय होना है। पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाहुलता न बढे ऐसे में वाद के निस्तारण तक उभय पक्षों को रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी की रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.12.04 11:30:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: